

(157)

Consolidated Third Quarterly RTI Return in respect of KVIC offices for year 2010-11 for the period from October, 2010 to December, 2010.

Ministry/Department/Organization: Khadi & V.I. Commission

Year 2010-2011 (October, 2010 to December, 2010)

	<u>Progress in 2010-11</u>				
	Opening Balance as on 01/04/2008	Received during the year (including cases transferred to other Public authority)	No. of cases transferred	Decisions where requests/ Appeals rejected	Decisions where requests/ Appeals accepted
Requests		186	4	31	151
First Appeals		9			9

Number of cases where disciplinary action taken against any officer

Number of CPIOs designated

Number of CPIOs designated 76

Number of Appellate authorities designated 21

Number of times various provisions were invoked while rejecting requests

Relevant Sections of RTI Act-2005	Section 8 (1)										Other
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	
											31

Amount of charges Collected (in Rs.) Rs. 4332/-

Registration Fee Amount Rs. 1450/-

Additional Fee & any other charges Rs. 2882/-

Penalties Amount

- Eight applications were received were received by Ministry under Section 6 (3) of RTI Act-05 and application fees were retained in the Ministry.
- One application was received by CPIO, Khadi & V.I. Board, Delhi 6 (3) of RTI Act-05 and application fee was retained in Khadi & V.I. Board, Delhi-92
- Three applications were received from BPL family.

  
 Central Public Information Officer

459

**अक्टूबर, 2010 से दिसम्बर, 2010 तक की अवधि के लिए  
आरटीआई तिमाही सूचना प्रणाली(2010-11)**

मंत्रालय/विभाग/संगठन: खादी और ग्रामोद्योग आयोग

वर्ष: 2010-11 (अक्टूबर, 2010 से दिसम्बर, 2010)

	प्रथम तिमाही की शुरुआत में प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति (अन्य लोक प्राधिकारियों को स्थानांतरित मामलों सहित)	स्थानांतरित मामलों की संख्या	ऐसे निर्णय जिनमें अनुरोध /अपील को अस्वीकृत किया गया	ऐसे निर्णय जिनमें अनुरोध /अपील को स्वीकृत किया गया
अनुरोध	-	186	04	31	151
प्रथम अपील	-	9	-	-	9
पदनामित CPIO की कुल संख्या			पदनामित AA की कुल संख्या		
76			21		

अनुरोध अस्वीकृत करते समय विभिन्न प्रावधानों को लागू करने संबंधी मामले

RTI Act 2005 के संबद्ध अनुच्छेद

अनुच्छेद(धारा) 8 (1)								अनुच्छेद(धारा)					
a)	b)	c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	9	11	24	अन्य
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
संग्रहीत पंजीयन शुल्क(रुपये में)				संग्रहीत अतिरिक्त पंजीयन शुल्क (रुपये में)				एकत्रित राशि शुल्क (रुपये में)			जुमनि की वसूली (रुपये में)		
1450				2882				4332					

- 1) RTI Act-05 के **सेक्शन 6(3)** के अंतर्गत, मंत्रालय ने **आठ(8)** आवेदन भेजे हैं, जिनका आवेदन शुल्क मंत्रालय ने अपने पास रखा है।
- 2) RTI Act-05 के **सेक्शन 6(3)** के अंतर्गत, कें.लो.सू.अ, खादी एवं वही. आय. बोर्ड, दिल्ली ने **एक(1)** आवेदन भेजा है, जिनका आवेदन शुल्क खादी एवं वही. आय. बोर्ड, दिल्ली-92 ने अपने पास रखा है।
- 3) **तीन** आवेदन BPL परिवारों से प्राप्त हुए हैं।

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी